न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 878 / 2023
अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सीता देवी पुत्री बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
2. बिरपाल पुत्री बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
3. रोकीराम पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
4. रामदेवी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
6. रानी पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
7. रमन लाल पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
8. सुखराम पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
9. मदन लाल पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
11. हनुमान पति कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक:–12/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा जोगीआसन नं. 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 25 / 26 के खसरा नं. 79 की कुल तादादी 7.5630 है0 भूमि में से मृतका सन्तो पत्नी श्योकरण का 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1 / 16 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। सन्तो पत्नी श्योकरण का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस बनवारी, रामदेवी व गुडी हुए जिसमें बनवारी पुत्र श्योकरण फोत हो चुका है जिसके वारिस पत्नी सुमित्रा व पुत्र रोकीराम व पुत्रिया सीता देवी, बिरपाल हुए तथा गुडी पुत्री श्योकरण फोत हो चुकी है जिसके वारिस बिमला, रानी व कमला व पति हनुमान हुए जिसमें कमला पुत्री गुडी फोत हो चुकी है जिसके वारिस 7 ता 10 हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो कि वादीया के पुत्र पुत्री है प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ननद है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 ता 11 जो कि वादीया की ननद मृतका गुडी पुत्री सन्तो के वारिसान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीया अकेली काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा जोगीआसन नं. 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 25/26, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीया की सास सन्तो व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो की वादीया के पुत्र व पुत्री है के नाम दर्ज है वादीया की सास सन्तो का देहान्त हो चुका है सन्तो के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने उक्त वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा त्याग वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों की सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोगीआसन नं. 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 25/26 के खसरा नं. 79 की कुल तादादी 7.5630 है0 भूमि में से मृतका सन्तो पत्नी श्योकरण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/16 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीया की सास सन्तो व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो की वादीया के पुत्र व पुत्री है के नाम दर्ज है वादीया की सास सन्तो का देहान्त हो चुका है सन्तो के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने उक्त वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा त्याग वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन नं. 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 25/26 के खसरा नं. 79 की कुल तादादी 7.5630 है0 भूमि में मृतका सन्तो पत्नी श्योकरण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 878/2023
अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सीता देवी पुत्री बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
2. बिरपाल पुत्री बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
3. रोकीराम पुत्र बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
4. रामदेवी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
6. रानी पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
7. रमन लाल पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
8. सुखराम पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
9. मदन लाल पुत्र कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
10. सन्तोष पुत्री कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
11. हनुमान पति कमला पुत्री गुडी पुत्री सन्तो जाति मेघवाल निवासी ढ़ाणी चारणान तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 878 सन 2023 निर्णय दिनांक –12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन नं. 3 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 25/26 के खसरा नं. 79 की कुल तादादी 7.5630 है0 भूमि में मृतका सन्तो पत्नी श्योकरण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/2[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:43 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर